

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.
(समक्ष : पंकज शर्मा)

व्य. वाद क्रमांक :- 09-ए/15

संस्थित दिनांक :- 06/02/15

01. देवी सिंह पुत्र प्रान सिंह तोमर उम्र 82 वर्ष
 02. आशाराम पुत्र रामदयाल राठौर उम्र 72 वर्ष
 03. सतीश पुत्र पूरन सिंह जादौन उम्र 37 वर्ष
 04. रामेश्वर पुत्र रामदयाल जाटव उम्र 42 वर्ष
- निवासीगण :- ग्राम एण्डोरी, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

----- वादीगण

विरुद्ध

01. जुलानिया, चैयरमेन सिंचाई विभाग म.प्र.शासन
02. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, चंबल संभाग,
03. कार्यपालन अभियंता सिंचाई विभाग उपखण्ड गोहद,
02. अमीन, सिंचाई विभाग खण्ड एण्डोरी, तहसील-गोहद,
जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

----- प्रतिवादीगण

// निर्णय //

{आज दिनांक :- 13/05/2017 को घोषित किया}

(01). वादीगण देवी सिंह एवं अन्य द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम एण्डोरी से निकली मुख्य नहर में से निकले जहारा वाले कुलावा को चालू रखने, के संदर्भ में आज्ञात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है।

(02). प्रकरण में कोई सारवान स्वीकृत तथ्य नहीं है।

(03). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादीगण के अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादीगण की भूमियाँ स्थित ग्राम एण्डोरी में सिंचाई मुख्य नहर से निकले जहारा वाला कुलावा से होती चली आ रही है। वर्तमान में पिलुआ बांध से निकली मुख्य नहर के सीमेंटीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते प्रतिवादी क्रमांक 03 द्वारा मुख्य नहर से निकले जहारा वाले कुलावा को बंद कर दिया गया है। उक्त कुलावा नहर प्रणाली चालू होने के समय से लगभग 40-50 वर्ष पूर्व से विद्यमान है। वादीगण इसी कुलावा से उनकी कृषि भूमियों में पानी देते चले आ रहे हैं। यदि कुलावे को हटाकर बंद कर दिया

गया तो वादीगण की कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उन्हें आर्थिक क्षति होगी। इसलिए फसल रहने तक कुलावा वहीं पर रखा जाना न्यायसंगत है। उक्त वादग्रस्त जहारा वाला कुलावा बंद कर दिये जाने के कारण वादीगण को सिंचाई हेतु मुख्य नहर से डीजल पम्प के माध्यम से लिफ्ट करके पानी देना पड़ रहा है। जिससे वादीगण को लगभग 500 रुपये प्रतिबीघा के हिसाब से अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ रहा है तथा सिंचाई कर (राजस्व) अलग से अदा करना पड़ रहा है, जिससे वादीगण को आर्थिक एवं मानसिक हानि हो रही है। वादीगण ने दिनांक : 01/12/2014 को प्रतिवादी को अपने अभिभाषक के माध्यम से नोटिस भी दिया, परन्तु उसका कोई जबाब प्रतिवादी द्वारा नहीं दिया गया। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाये कि वह पिलुआ बांध से निकली मुख्य नहर में जहारा वाला कुलावा को प्रारम्भ करें और वादीगण को पाँच सौ रुपये प्रति बीघा की दर से मध्यवर्ती लाभ प्रदान करें।

(04). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादी के समस्त अभिवचनों को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर में किये गये अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादीगण जहारा वाले कुलावा के समीप स्थित भूमि के स्वामी है, अथवा नहीं, इसकी जानकारी प्रतिवादी को नहीं है। वादीगण जहारा वाले कुलावा से सिंचाई नहीं करते। शासन हमेशा ही जनउपयोगी एवं जनहितकारी नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए समय-समय पर नियम बनाता है, जिसके तारतम्य में शासन के द्वारा नहरों का सीमेन्टीकरण किया जा रहा है, ताकि पानी का दुरुपयोग न हो और जमीन पानी को सोख न पाये। वादीगण द्वारा उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए गलत तथ्यों के आधार पर वाद-पत्र प्रस्तुत किया गया है। कथित वादग्रस्त जहारा वाला कुलावा का उल्लेख किसी अभिलेख में नहीं है, पूर्व से ही जहारा वाला कुलावा अस्तित्व में नहीं था, इसलिए वादीगण उसको पुनःस्थापित करने की मांग नहीं कर सकते। वास्तविकता यह है कि वादीगण वादपत्र की आढ़ में नहर को फोड़कर नया कुलावा स्थापित करना चाहते हैं, इसका वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। वादी यदि चाहे तो नहर के उपर पम्प रखकर नहर से पानी लेने के लिए स्वतंत्र है। शासन द्वारा जहारा वाला कुलावा के नाम से कोई सिंचाई कर (राजस्व) किसी पक्षकार से नहीं लिया गया। वादीगण द्वारा असत्य वाद प्रस्तुत किया गया है। फलतः उपरोक्तानुसार वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

(05). उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक :- 11/05/2015 को वाद-प्रश्न विरचित किये गये, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनके समक्ष विवचेना के उपरान्त निष्कर्ष अंकित किए गये हैं :-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या पिलुआ बाँध से निकली हुई मुख्य नहर में ग्राम एण्डोरी के पास जहारा वाला कुलावा (छोटी नहर) अस्तित्वमान है?	“अप्रमाणित”
02.	क्या वादीगण जहारा वाले कुलावा से उनके खेत स्थित ग्राम एण्डोरी में सिंचाई करते हैं?	“अप्रमाणित”
03.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा जहारा वाले कुलावा को बंद करने का प्रयास अवैध रूप से किया जा रहा है?	“अप्रमाणित”
04.	क्या वादीगण पाँच सौ रुपये प्रति बीघा की दर से अतःकालीन लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं?	“अप्रमाणित”
05.	क्या वादीगण द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है?	“प्रमाणित”
06.	अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय?	वाद निर्णय के पद क्रमांक 13 के अनुसार अप्रमाणित पाये जाने से निरस्त किया गया।

/// निष्कर्ष एवं आधार ///

वाद प्रश्न क्रमांक : 01

(06). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी क्रमांक 01 देवी सिंह वा.सा. 01 एवं वादी क्रमांक 02 आशाराम वा.सा.02 ने उनके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किये हैं। वादीगण ने उनके वाद के समर्थन में एसडीओ जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक 02 गोहद के द्वारा वादी को प्रेषित पत्र दिनांक : 30/06/2016 प्र.पी.01, मौजा एण्डोरी के सम्वत् 2071 के अपासी संबंधी दस्तावेज की सत्यप्रति प्र.पी.02, सिंचाई विभाग ग्राम एण्डोरी का वर्ष 2015 का शुद्धकर खसरा प्र.पी.03, सिंचाई विभाग के ग्राम एण्डोरी के सिंचाईशुदा भूमि के फील्डबुक की सत्यप्रति प्र.पी.04 लगायत प्र.पी. 07, ग्राम पंचायत एण्डोरी के सरपंच द्वारा प्रदत्त पंचनामा प्र.पी.08, वादीगण द्वारा इंजीनियर सिंचाई उपखण्ड गोहद को प्रेषित आवेदन प्र.पी.09, सिंचाई कर की रसीद प्र.पी.10 एवं पंचनामा प्र.पी.11 प्रस्तुत किया है।

(07). इस वाद प्रश्न का प्रमाण—भार वादीगण पर है। वादी देवी सिंह वा.सा.01 ने प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 06 में दिनांक : 07/03/2017 को यह दर्शित किया है कि वर्तमान में जहारा वाला कुलावा लगभग 20 वर्ष अर्थात् वर्ष 1997 से बंद है। इसके विपरीत वादी क्रमांक 02 आशाराम वा.सा.02 ने उसके प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 07 में दिनांक : 07/03/2017 को ही यह व्यक्त किया है कि वर्तमान में जहारा वाला कुलावा लगभग 10 वर्ष से बंद है। वादी क्रमांक 02 आशाराम वा.सा.02 ने प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 07 में प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जबसे जहारा वाला कुलावा बंद हुआ है, तब से उससे सिंचाई का पानी नहीं लगाता। साक्षी आगे कहता है कि उसने आखिरी बार जहारा वाले कुलावा से 20 साल पहले अर्थात् वर्ष 1997 में पानी दिया था। इस प्रकार प्रथमतः तो जहारा वाला कुलावा आखिरी बार दस वर्ष पूर्व अथवा 20 वर्ष पूर्व कब तक अस्तित्वमान था, इस वावत् वादी क्रमांक 01 देवी सिंह वा.सा.01 एवं वादी क्रमांक 02 आशाराम वा.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है। द्वितीयतः यदि तर्क के लिए वादीगण द्वारा इस वावत् न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित तथ्यों को सत्य मान भी लिया जाये तब भी वादी साक्ष्य में यह प्रकट नहीं होता कि वाद प्रस्तुति दिनांक : 06/02/2015 को अथवा वर्तमान में कोई जहारा वाला कुलावा अस्तित्वमान है। वादीगण की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जो वर्तमान या पूर्व में कभी भी पिलुआ बांध से निकली मुख्य नहर में से ग्राम एण्डोरी में किसी जहारा वाला कुलावा के अस्तित्व को दर्शित करता हो। वादीगण द्वारा इस वावत् ग्राम पंचायत एण्डोरी के सरपंच द्वारा प्रदत्त पंचनामा प्र.पी.08 एवं पंचनामा प्र.पी.11 प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें से पंचनामा प्र.पी.11 में इस तथ्य का उल्लेख है कि उक्त कथित जहारा वाला कुलावा दस वर्ष पूर्व निकाल लिया गया है। प्रथमतः तो पंचनामा साक्ष्य की कोटि में नहीं आता है, लेकिन पंचनामा प्र.पी.11 में भी वाद—प्रस्तुति दिनांक या वर्तमान में जहारा वाला कुलावा के अस्तित्व में होना का कोई उल्लेख नहीं है।

(08). इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि पिलुआ बाँध से निकली हुई मुख्य नहर में ग्राम एण्डोरी के पास जहारा वाला कुलावा (छोटी नहर) अस्तित्वमान है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 02

(09). चूँकि वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष के अनुसार पिलुआ बांध से निकली हुई मुख्य नहर में ग्राम एण्डोरी के पास जहारा वाला कुलावा का अस्तित्व में होना प्रमाणित नहीं पाया गया है, इसलिए वादीगण द्वारा उक्त जहारा वाला कुलावा से उनके खेत स्थित ग्राम एण्डोरी में सिंचाई करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष भी “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 03

(10). चूँकि वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष के अनुसार पिलुआ बांध से निकली हुई मुख्य नहर में ग्राम एण्डोरी के पास जहारा वाला कुलावा का अस्तित्व में होना प्रमाणित नहीं पाया गया है और स्वयं वादी क्रमांक 01 देवी सिंह वा.सा.01 एवं वादी क्रमांक 02 आशाराम वा.सा.02 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि उक्त कथित जहारावा वाला कुलावा विगत दस या बीस वर्षों से अस्तित्वमान नहीं है, इसलिए वादीगण द्वारा उक्त जहारा वाला कुलावा से उनके खेत स्थित ग्राम एण्डोरी में सिंचाई करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष भी “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 04

(11). इस वाद प्रश्न के संबंध में वादीगण द्वारा उनके अभिवचनों में यह दर्शित किया गया है कि जहारा वाला कुलावा बंद हो जाने के कारण वादीगण को डीजल इंजन से पॉच सौ रुपये प्रतिबीघा की दर से सिंचाई पर खर्च करना पड़ रहा है। जबकि वादी क्रमांक 02 आशाराम वा.सा.02 ने मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र एवं प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में यह दर्शित किया है कि सीमेंटेड नहर के किनारे जनरेटर एवं पम्प रखकर खेतों में पानी देने में तीन हजार रुपये प्रतिबीघा का खर्चा आता है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत पंचनामा प्र.पी.08 में डीजल पम्प से सिंचाई का खर्चा प्रतिबीघा आठ सौ रुपये आने का उल्लेख है और पंचनामा प्र.पी.11 में पम्प द्वारा सिंचाई का खर्चा चार सौ रुपये प्रतिबीघा होने का उल्लेख है। इस प्रकार डीजल पम्प से सिंचाई के प्रतिबीघा व्यय के संबंध में वादीगण की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य परस्पर विरोधाभाषपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। वैसे भी वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 के निष्कर्ष के अनुसार किसी जहारा वाला कुलावा का ग्राम एण्डोरी में अस्तित्व एवं वादीगण को उक्त कुलावे में से उनके खेतों में सिंचाई करने का तथ्य प्रमाणित नहीं पाया गया है। इसलिए यह भी प्रमाणित नहीं पाता हूँ कि वादीगण प्रतिवादीगण से पॉच सौ रुपये प्रतिबीघा की दर से कोई अतःकालीन लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष भी “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 05

(12). हस्तगत वाद आज्ञापक निषेधाज्ञा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष बावत प्रस्तुत किया गया है। आज्ञापक निषेधाज्ञा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के वाद में वाद मूल्यांकन का सिद्धान्त धारा :- 7 (iv) D न्यायालय शुल्क अधिनियम में उपबंधित है जिसके अनुसार वादीगण को उनके द्वारा चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता है तथा उसे किये गये मूल्यांकन पर मूल्यानुसार न्यायशुल्क अदा करना होता है। वादीगण द्वारा अनुतोष का कुल मूल्यांकन 500/- रुपये निर्धारित

किया गया है तथा मूल्यानुसार मात्र 100/- रुपये न्याय शुल्क अदा किया गया है, जो कि पर्याप्त है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष "प्रमाणित" के रूप में विनिश्चित किया जाता है।

{ अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय }

- (13). उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादीगण उनका वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। फलतः वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है।
- (14). वादीगण स्वयं के साथ-साथ प्रतिवादीगण का भी वाद-व्यय वहन करेंगे।
- (15). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।
- (16). तदनुसार जय पत्र बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया।

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.